प्रेस विज्ञप्ति-

थाना ककरवई,जनपद झाँसी

दिनाँक- 12.09.2025

- **झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **चोरी के मोबाइल फोन, इन्वर्टर व यूपीएस सहित शातिर चोर गिरफ्तार,**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 12.09.2025 को थाना ककरवई पुलिस द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त नीरज सिंह पुत्र सुल्तान सिंह निवासी ग्राम गोकुल थाना एरच जनपद झाँसी उम्र करीब 35 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से थाना ककरवई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धनौरा में चोरी किये गये 02 मोबाइल, 01 चार्जर व ग्राम सैगुवाँ पंचायत भवन से चोरी किए गए 01 इन्वर्टर, 01 यूपीएस मशीन बरामद किया गया। उपरोक्त चोरी की घटनाओं के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर पूर्व में पंजीकृत अभियोग में उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं का समावेश कर अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गई। अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 27/28.05.2025 की रात्रि में पंचायत भवन ग्राम सैगुवाँ में अज्ञात चोर द्वारा पंचायत भवन में रखा कम्प्यूटर, इन्वर्टर, यूपीएस, कैमरा आदि सामान चोरी कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में वादी श्री छक्कीलाल, ग्राम प्रधान सैगुवाँ द्वारा दिए गए प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 48/2025 धारा 331(4)/305(a) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनाँक 08/09.09.2025 की रात्रि में ग्राम धनौरा में श्री बब्बू सिंह पुत्र अर्जुन सिंह निवासी ग्राम धनौरा थाना ककरवई जनपद झाँसी के घर में घुसकर अज्ञात व्यक्ति द्वारा 02 मोबाइल व चार्जर चोरी कर लिए जाने सम्बन्ध में वादी श्री बब्बू सिंह उपरोक्त द्वारा दिए गए लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं064/2025 धारा 331(4)/305(a) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त दोनों अभियोगों के सफल अनावरण हेतु थाना ककरवई पुलिस टीम द्वारा लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे थे, जिसके क्रम में आज दिनाँक 12.09.2025 को अभियुक्त नीरज सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी के 02 मोबाइल व 01 चार्जर किया गया। पूछताछ के दौरान

अभियुक्त नीरज सिंह उपरोक्त द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा ग्राम सैगुवाँ पंचायत भवन से भी मई महीने में चोरी की गयी थी। अभियुक्त द्वारा चोरी किये गये कुछ सामान को बेंच दिया गया था, परन्तु कुछ सामान उसके बाड़े में रखा हुआ था। जिस पर अभियुक्त नीरज के निशानदेही पर उसके बाड़ा (ग्राम गोकुल) से चोरी के 01 इन्वर्टर व 01 यूपीएस मशीन बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बरामदगी का विवरण- इन्वर्टर - 01, यूपीएस - 01, मोबाइल - 02, चार्जर – 01

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1.	53/20	354/504/506 IPC	एरच (झाँसी)
2.	48/25	331(4)/305(A)/317(2) BNS	ककरवई(झाँसी)
3.	64/25	331(4)/305(A)/317(2) BNS	ककरवई(झाँसी)

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण –

1.उ0नि0 श्री अंकित पंवार, थाना ककरवई
2.उ0नि0 श्री अशोक कुमार, थाना ककरवई
3. का083 आकाश सिंह, थाना ककरवई
4.का0 1835 संजय यादव, थाना ककरवई
5.का01109 सौरभ यादव, थाना ककरवई